संख्या: 19 /2020/ 695 /सत्रह-म-2020-6-9 (2)/19

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 06 जुलाई, 2020

विषय वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त/पुनर्वेध केन्द्रांश धनराशि रू0 1434.5509 लाख में से मात्र केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 717/ नि0शा0/2020-21/16-19(6) दिनांक 03 जून,2020 तथा पत्र संख्या-763/ नि0शा0/2020-21/16-19(6) दिनांक 24 जून,2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र संख्या 717/ नि0शा0/2020-21/16-19(6) दिनांक 03 जून,2020 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश रू0 1434.5509 लाख में से केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख व मैचिंग राज्यांश रू0 742.384 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 1882.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया था।

3- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या- जे- 1203113/48/2017 एफवाई-।। दिनांक 09.12.2019 द्वारा कुल रू0 9624.94 लाख की परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी, जिसमें से अनुदान के रूप में रू0 5059.64 लाख (केन्द्रांश रू0 2983.79 लाख+राज्यांश् रू0 2075.85 लाख) तथा लाभार्थी अंश रू0 4565.30 लाख की धनराशि निहित है। भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत सामान्य मद हेतु रू0 2268.712 लाख का केन्द्रांश प्रथम किश्त के रूप में अपने पत्र संख्या-जे-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 09.12.2019 द्वारा अवमुक्त किया गया था।

4- गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत सामान्य मद हेतु अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत सम्पूर्ण वांछित बजट व्यवस्था न होने के कारण मात्र कुल रू0 2043.279 लाख (केन्द्रांश रू01157.593 लाख+ राज्यांश रू0 885.686 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.03.2020 तक मात्र रू0 1513.3585 लाख (केन्द्रांश रू0 834.1611 लाख+ राज्यांश रू0 679.1974 लाख) की धनराशि ही व्यय हो सकी तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गयी। इस प्रकार रू0 1434.5509 लाख का केन्द्रांश अप्रयुक्त /अवशेष रहा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या- जे-/ 18001/1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 द्वारा वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत निर्गत केन्द्रांश वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत अनुदान संख्या- 17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन में कुल रू0 5000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

6- वर्तमान में विशेष परिस्थितियों/सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत सर्वप्रथम मात्र केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है,जिसके क्रम में आपके द्वारा पत्र संख्या-763/ नि0शा0/2020-21/16-19(6) दिनांक 24 जून,2020 द्वारा केन्द्रांश धनराशि रू0 1140.416 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का एनेक्जर सहित संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

7- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020 -21) में ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य मद हेतु अवशेष/पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 1434.5509 लाख में से सर्वप्रथम मात्र केन्द्रांश धनराशि 1140.416 लाख (रू0 ग्यारह करोड चालीस लाख इकतालीस हजार छः सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न तालिकानुसार 17 परियोजनाओं/मदों हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स, शासनादेश संख्या- 18/2017 /1128/ सत्रह-म-2017-6-9(333)/16 दिनांक 07 जुलाई, 2017 एवं शासनादेश संख्या- संख्या-2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग-निर्देश में दिये गये निर्देर्शो व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर / बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षकों में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(5) विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई- टेण्डर/ जेम पोर्टल विषयक दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा तथा

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी। सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार निर्माण,अवस्थापना,क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा सक्षम तकीनीकी अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, पत्र संख्या-4/ 2020/ बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक11.04.2020,पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 एवं पत्र संख्या- बी-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 में दिये दिशा-निर्देशों /प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) भारत सरकार के पत्रांक जे-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 के प्रस्तर- 3 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0/पी0एम0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण EAT module of PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामालों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

8- उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ(यू0पी0एफ0डी0सी0) हेतु संलग्न तालिका के क्रमांक-(13) व(16) पर अंकित परियोजनाओं हेतु तथा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ(यू0पी0 एम0जे0 एस0एस0) को क्रमांक-(7) व(13) में अंकित परियोजनाओं हेतु निर्गत की जा रही धनराशि को निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार आहरण कर निर्धारित प्रक्रियानुसार उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0,लखनऊ एवं उ0प्र0 मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0,लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

9- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दि0 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक18.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-494/ ई-1-दस-2020, दिनांक 01 जुलाई,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या 19 /2020/695 / सत्रह-म-2020 तद्दिनांक -

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकारप्रयागराज। द्वितीय उ0प्र0/प्रथम (लेखा एवं हकादरी)
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(शासनादेश संख्या: 19 /2020 / 695 /सत्रह-म-2019-6-9(2)/19 दिनांक 06 जुलाई ,2020 का संलग्नक)

-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियेाजना का नाम	श्रेणी / फण्डिंग पैटर्न (के0:रा0:ला0)	भौतिक लक्ष्य (सं0/ हे0)	इकाई लागत	परियोजना लागत	अनुमन्य अनुदान	अवशेष केन्द्रांश रू0 1434.5509 लाख के सापेक्ष निर्गत होने वाली मात्र केन्द्रांश धनराशि		अभ्युक्ति
							केन्द्रांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मध्यमाकार आर0ए0एस0	सामान्य 24:16:60	43	50.00	2150.00	860.00	**180.00**	**180.00**	निदेशक मत्स्य के पत्र संख्या-763/ नि0शा0/ 2020-21/ 16-19(6) दिनांक 24 जून,2020 द्वारा संलग्नकों के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार विवरण/फांट के अनुसार।
2	मध्यमाकार आर0ए0एस0	महिला 36:24:40	38	50.00	1900.00	1140.00	**262.80**	**262.80**	
3	कम लागत के आर0ए0एस0	सामान्य 24:16:60	18	15.00	270.00	108.00	**25.20**	**25.20**	
4	कम लागत के आर0ए0एस0	महिला 36:24:40	7	15.00	105.00	63.00	**5.40**	**5.40**	
5	आई0एम0सी0 तथा अन्य विशिष्ट कल्टीवेबल फिनफिश हेतु मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना	सामान्य 24:16:60	4	25.00	100.00	40.00	**8.00**	**8.00**	
6	आई0एम0सी0 तथा अन्य विशिष्ट कल्टीवेबल फिनफिश हेतु मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना	महिला 36:24:40	3	25.00	75.00	45.00	**5.40**	**5.40**	
7	फिश सीड रियरिग यूनिट	यू0पी0एम0 जे0एस0एस0 50:50:00	3	6.00	18.00	18.00	**4.50**	**4.50**	
8	नये तालाबों का निर्माण	सामान्य 24:16:60	200	7.00	1400.00	560.00	**124.666**	**124.666**	
9	नये तालाबों का निर्माण	महिला 36:24:40	60	7.00	420.00	252.00	**151.20**	**151.20**	
10	नये तालाबों का निर्माण पर निवेश	सामान्य 24:16:60	200	1.50	300.00	120.00	**72.00**	**72.00**	
	नये तालाबों का निर्माण पर निवेश	महिला 36:24:40	60	1.50	90.00	54.00	**32.40**	**32.40**	
11	नये तालाबों का निर्माण (जलीय कृषि के लिए अंतदेर्शीय खारा पानी का उत्पादक उपयोग)	सामान्य 24:16:60	10	7.00	70.00	28.00	**6.72**	**6.72**	
12	ताजे पानीमें झींगा कल्चर के लिए इनपुट लागत	सामान्य 24:16:60	10	2.50	25.00	10.00	**6.00**	**6.00**	

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	जलाशयों तथा अन्य खुले जल क्षेत्र में केज/पेन की स्थापना	सामान्य 24:16:60	260	3.00	780.00	312.00	**122.98**	**122.98**	
14	स्माल फीड मिल	सामान्य 24:16:60	21	10.00	210.00	84.00	**5.28**	**5.28**	
15	स्माल फीड मिल	महिला 36:24:40	16	10.00	160.00	96.00	**10.80**	**10.80**	
16	कम लागत के आर0ए0एस0	यू0पी0एफ0 डी0सी0 50:50:00	16	15.00	240.00	240.00	**60.00**	**60.00**	
	योग -						**1083.346**	**1083.346**	
17	प्रशासकीय व्यय (केन्द्रांश का 3प्रतिशत)	100:00:0			86.90	86.90	**57.07**	**57.07**	निदेशक मत्स्य के स्तर से धनराशि आवंटित की जायेगी।
	योग -						**1140.416**	**1140.416**	

(रू0 ग्यारह करोड चालीस लाख इकतालीस हजार छः सौ मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।